बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– /2025

संख्या–1/स्था० (1) 03/2023–......1145....../बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक–1670, दिनांक–20.07.2022 के द्वारा विज्ञापन सं0–02/2022 के तहत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 288 अभ्यर्थियों में से विभागीय सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित 283 अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–3246–सह–पठित ज्ञापांक–3247, दिनांक–27.09.2022 द्वारा औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना के क्रम–140 में अंकित डॉ0 श्वेता राय को औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दिनारा, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया गया था। डॉ0 राय द्वारा कतिपय कारणों से दिए गए समय अवधि में योगदान नहीं दिया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए एवं डॉ0 राय द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतनमान पे मैट्रिक्स वेतन स्तर–9 (रू0 53100–167800/–) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम–9 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/स्थायी पता	मेधा क्रमांक	पिता/पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	कोटि	चयन कोटि	नव पदस्थापन स्थान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	डॉ0 श्वेता राय पता–द्वारा कृष्ण कुमार राय, ग्राम–रामचन्द्रपुर, दशहरा, डाकघर–दशहरा, था0–मोहनपुर, जिला–समस्तीपुर, पिनकोड–848501	143	श्री ओम प्रकाश राय	समस्तीपुर	27-06-1983	BC	UR-FEMALE	कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना

2. यह नियुक्ति समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के प्रत्याशा में की जा रही है। परन्तु सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति समर्पित निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. यह नियुक्ति समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों तथा अनुभव प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/ अनुभव प्रमाण–पत्र के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. यह नियुक्ति इस शर्त्त पर की जा रही है कि पूर्व में कहीं नियमित रूप से कार्यरत हैं, योगदान से पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

6. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. योगदान के समय अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय/संस्थान से किये जाने के पश्चात् ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. नवनियुक्त पशु चिकित्सक अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। ससमय योगदान नहीं करने की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

11. इनकी वरीयता आवंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले वर्ष में न होकर योगदान वाले वर्ष में योगदान के आधार पर मेधाक्रम में होगी।

12. योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुमंजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/ स्था0 (1) 03/2023–....................../पटना–15, दिनांक–................/2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/ स्था0 (1) 03/2023–....................../पटना–15, दिनांक–................/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (1) 03 / 2023–....................... / पटना–15, दिनांक–................. / 2025

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (1) 03 / 2023–....................... / पटना–15, दिनांक–................. / 2025

प्रतिलिपिः–निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार / सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृ0 प0 वि0 परि0 (मु0 स्तर), बिहार / सभी उप निदेशक (पशु विकास) / सभी उप निदेशक (चारा विकास) / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी / सभी परियोजना पदा0, बिहार / सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदा0, बिहार / सभी पशु शल्य चिकित्सक, बिहार / सभी सहायक निदेशक (पशु विकास) / सभी पशु प्रक्षेत्र / कुक्कुट प्रक्षेत्र, बिहार / सभी पशु चिकित्सक / विभागीय बजट शाखा / बजट शाखा, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (1) 03 / 2023–1146 / पटना–15, दिनांक–10/03/ 2025

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1670 दिनांक–20.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/25

सरकार के अवर सचिव।